[18/3/2020]

परिशिष्ट

प्रश्न सं. [क्र. 1039]

तारां. प्रश्न क्र. 1039
वि.स. सदस्य - मा. श्री राजेश प्रजा
सदन की बैठक दि. - 18-03-20

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय

–:: **आदेश** ::–

भोपाल, दिनांक 6 / 3 / 2020

क्रमांक एफ 1–38 / 2019 / 15–2 :: श्री अखिलेश निगम, उपायुक्त, सहकारिता, छतरपुर के पद पर रहते हुए प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित रनगुवां के अध्यक्ष / संचालक मण्डल को अवैधानिक रूप से संस्था में नियुक्त / कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किये गये। श्री निगम द्वारा पुनः संस्था के नियम प्रावधान के विपरीत जाकर उक्त कर्मचारियों को यथावत् रखने के निर्देश दिए जाकर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं चूक किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18.08.2017 को जारी कर निर्धारित समयावधि में उत्तर चाहा गया।

2/ श्री अखिलेश निगम, उपायुक्त, सहकारिता द्वारा अपना उत्तर दिनांक 16.11.2017 को प्रस्तुत किया गया। श्री निगम द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर आयुक्त सहकारिता से अभिमत चाहा गया था। आयुक्त सहकारिता द्वारा बिन्दुवार अपना अभिमत दिया गया–

1. श्री निगम को पैक्स रनगुवां के तीनों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश देने के पूर्व संस्था के अभिलेख का परीक्षण करना चाहिये था तथा तीनों कर्मचारियों को समक्ष में आहुत कर उनकी सुनवाई की जाकर निर्देश जारी किये जाने थे। श्री निगम द्वारा प्रस्तुत परीक्षण किये बिना निर्देश जारी किये गये।
2. श्री निगम द्वारा संस्था के अध्यक्ष के सेवा समिति के आदेश के विरूद्ध तीनों कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त कर परीक्षण उपरांत संस्था के प्रस्ताव / ठहराव निरस्त करने कर्मचारियों से पूर्ववत कार्य कराने तथा पुनः कर्मचारी सेवा नियमों के अंतर्गत सुनवाई उपरांत कार्यवाही किये जाने के निर्देश देना उचित नही है। एक बार सेवा समाप्ति के आदेश जारी होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी को सहकारी अधिनियम की धारा 55(2) के अंतर्गत विवाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिये। उपायुक्त सहकारिता को प्रशासनिक रूप से किसी संस्था के संचालक मण्डल द्वारा किये गये प्रस्ताव ठहराव को निरस्त करने का अधिकार नही है।

3/ प्रकरण में आयुक्त सहकारिता के अभिमत उपरांत श्री अखिलेश निगम उपायुक्त सहकारिता को दिनांक 08.02.2019 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान श्री निगम द्वारा बताया गया कि उनके संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आने से कि संस्था में अवैध नियुक्ति की गयी है, के आधार पर तथा संस्था द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में आदेश प्रस्तुत न करने पर संस्था के अध्यक्ष / संचालक मंडल एवं समिति प्रबंधक को उक्त कर्मचायियों की सेवा समाप्त करने हेतु लेख किया गया था, जिसके आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिये गये। उसके पश्चात संस्था के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत होने के कारण इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष / संचालक मंडल एवं समिति प्रबंधक को सूचना पत्र जारी की सुनवाई की गयी, जिसमें लेख किया गया कि दिनांक 25.09.2014 को संचालक मंडल की बैठक की सूचना एवं एजेंडा जारी नही किया गया तथा बैठक नही हुई। उक्त आधार पर दिनांक 25.09.2014 की बैठक को नियमानुसार न मानकर उक्त तीनों कर्मचारियों को यथावत रखने के निर्देश दिये गये।

4/ श्री निगम द्वारा सुनवाई में दिये गये तर्क, आरोपों के संबंध में प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन और उसके विवेचन उपरांत यह पाया गया कि श्री निगम द्वारा तीनों कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए सेवा समाप्ति हेतु नियमानुसार प्रकिया को पूरा करने के उपरांत ही निर्देश दिये जानें थे। श्री निगम द्वारा संस्था में नियुक्त/ कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश नियम प्रकिया की जानकारी के अभाव में संस्था को दिये गये। फिर भी यह स्पष्ट है कि श्री निगम द्वारा उक्त कार्यवाही अपने अधिकार क्षेत्र में ही की गई है, किन्तु प्रकिया के अपनाने में त्रुटि की गई है।

5/ श्री अखिलेश निगम, उपायुक्त सहकारिता द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में नियम प्रकिया के पालन के अभाव में निर्देशों में की गई त्रुटि/ चूक के लिये विभाग द्वारा समग्र विचरोंपरांत परिनिंदा की लघुशास्ति अधिरोपित करने का अनन्तिम प्रशासकीय निर्णय लिया जाकर म.प्र. लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त की गयी।

6/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण विचारोपरांत श्री अखिलेश निगम, तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत '**परिनिंदा**' की शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पा कुलेश)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग

पृष्ठा.क्र. एफ 1–38/2019/15–2, भोपाल, दिनांक 4/3/2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मुख्यालय भोपाल के ज्ञाप क्र. स्था/10/वि.जां./2017/567, दिनांक 03.03.2017 के संदर्भ में।
2. निज सचिव, मा.मंत्रीजी, सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म. प्र. शासन, भोपाल ।
3. संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ होशंगाबाद (नर्मदापुरम)/ सागर, संभाग।
4. संबंधित श्री अखिलेश कुमार निगम, उपायुक्त सहकारिता, नरसिंहपुर (म.प्र.)।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आर्डर बुक

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग